न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 26/2021

प्रार्थी

भलाराम पुत्र त्रिकमाजी, जाति–मेघवाल, निवासी–बारेवडा, तह. शिवगंज, जिला–सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. मागीलाल पुत्र ओटाराम जी, जाति– मेघवाल, निवासी– बारेवडा, तहसील–शिवगंज, जिला–सिरोही
2. सेसाराम पुत्र ओटाराम जी, जाति– मेघवाल, निवासी– बारेवडा, तहसील– शिवगंज, जिला–सिरोही
3. ग्राम पंचायत, मोरली जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत,मोरली, तह.शिवगंज,जिला–सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री नरपत सिंह देवड़ा, प्रार्थी निगरानीकार की ओर से
(2) अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 24 जून, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी निगरानीकार की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, मोरली द्वारा अप्रार्थी मांगीलाल, सेसाराम पुत्र ओटाराम जी मेघवाल, निवासी– बारेवडा के हक में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 4935 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 212 दिनांक 05–7–1998 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये एवं ग्राम पंचायत, मोरली से प्रश्नगत पट्टे से संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां तलब की गई। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) को नोटिस को तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये।

(3) प्रकरण में दिनांक 17–6–2025 को बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री देवडा ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त कि प्रार्थी ग्राम बारेवडा, ग्राम पंचायत मोरली का स्थायी निवासी है और परिवार सहित अपने बाप–दादाओं के समय से निवास करता आ रहा है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मकानात् एक ही मौहल्ले में पास–पास में आये हुए है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मकान के पूरब दिशा में पुरानी आम सार्वजनिक गली, रास्ता आया हुआ है जिसमें अप्रार्थी के मकान के दरवाजे खुले हुए है तथा प्रार्थी भी इसी गली रास्ते से अपने बाप–दादाओं के समय से अपने रहवासीय मकान में आता जाता है तथा उक्त गली का निरन्तर व निर्बाध रूप से उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने ग्राम पंचायत, मोरली के सरपंच व सचिव से मेल मिलाप कर चुपके से आवासीय भूमि के साथ–साथ कब्जे से ज्यादा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मकान के दक्षिण व पूरब दिशा स्थित रास्ते की भूमि को सम्मिलित करते हुए आम सार्वजनिक रास्ते व गली की भूमि का पट्टा संख्या 212 विधि विरूद्ध तरीके से नियमों को ताक में रखकर जारी करवाया है। प्रार्थी द्वारा अपने घर पर आने जाने हेतु उपयोग

......पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला न्यायालय कलक्टर * सिरोही *

में ली जा रही भूमि आम सार्वजनिक रास्ते गली की भूमि है तथा आज भी प्रार्थी आवागमन हेतु उक्त भूमि का उपयोग अप्रार्थीगण की जानकारी में करता आ रहा है। ग्राम पंचायत, मोरली को सार्वजनिक आम रास्ते व गली की भूमि का पट्टा जारी करने का कानूनन कोई हक अधिकार नहीं है, उसके बावजूद भी ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के प्रभाव में आकर उक्त रास्ते की भूमि का विधि विरुद्ध पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत, मोरली द्वारा मौके का भौतिक सत्यापन किए बिना मौके की भौतिक स्थिति के विपरीत, विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना कब्जे से ज्यादा भाग की भूमि का पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम जारी किया है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के कब्जे वाली भूमि पर मकान व पोल बनी हुई है। इसके अतिरिक्त उनका किसी भूमि या भाग पर कोई कब्जा नही है तथा वर्तमान मे अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मकान के लगते दक्षिण दिशा में आम सडक तथा पूरब दिशा में रास्ता गली आयी हुई है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा मकान के पूरब दिशा में स्थित रास्ते गली में हाल ही में पत्थर डालकर प्रार्थी के आवागमन में अवरोध पैदा करने पर प्रार्थी ने उक्त कृत्य की शिकायत ग्राम पंचायत, मोरली में की, तब प्रार्थी को सर्वप्रथम जानकारी हुई कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने चोरी—चूपके वर्ष 1998 में रास्ते की भूमि को सम्मिलित करते हुए मकान का पट्टा कब्जे से अधिक भाग का बनवाया है। प्रार्थी द्वारा पंचायत में शिकायत करने पर ग्राम पंचायत की ओर से सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, उपसरपंच, वार्ड सदस्य द्वारा दिनांक 07.06.2021 को मौके पर आकर मौका निरीक्षण कर पट्टेनुसार नाप—जोख कर मौका निरीक्षण रिपोर्ट बनायी। मौका निरीक्षण अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम जारी पट्टे में दक्षिण दिशा में 15 फीट सार्वजनिक रास्ते की भूमि तथा पूरब दिशा में 20 फीट सार्वजनिक रास्ते की भूमि सम्मिलित होना पाया है। उक्त रास्ते की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का कभी भी कब्जा नहीं रहा है तथा आज भी उक्त भूमि रास्ते के रूप में उपयोग आ रही है। उक्त रास्ता कदीमी है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त पट्टे की आड में उनके मकान के पूरब दिशा स्थित आम रास्ते पर कब्जा करने की फिराक में है और इसी उद्देश्य से उन्होंने रास्ते की भूमि पर पत्थर डलवाये है। ग्राम पंचायत, मोरली द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 212 अवैध व शून्य है जिसे निरस्त किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है। यदि उक्त पट्टे को निरस्त नहीं किया जाता है तो प्रार्थी व आमजन सार्वजनिक रास्ते के उपयोग व उपभोग से वंचित हो जायेंगे। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, मोरली द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 212 दिनांक 05—7—1998 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के जवाब में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, मोरली द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियमों के तहत विहित प्रक्रिया का पालन करके नियमानुसार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में पट्टा संख्या 212 जारी किया है जो किसी भी प्रकार से विधि व तथ्यों के विरूद्ध नहीं हैं। प्रार्थी निगरानीकार, ग्राम बारेवड़ा का निवासी हैं लेकिन प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मकान एक ही मोहल्ले में पास पास नही है, क्योंकि पूर्व में प्रार्थी व उसके परिवार का मकान ग्राम बारेवड़ा में अन्यत्र जगह पर था उसके पश्चात् वर्ष 2012 में प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मकान के सामने रास्ते व अन्य भूमि पर अतिक्रमण कर मकान बनाया है। प्रार्थी द्वारा उस समय किये गये अतिक्रमण की सूचना अप्रार्थीगण द्वारा जिला कलेक्टर व अन्य अधिकारियों को कर अतिक्रमण रूकवाने का निवेदन किया था परन्तु प्रार्थी राजनैतिक रसुखात व धनबल में सक्षम होने के कारण प्रार्थी के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई। प्रार्थी का उक्त भूमि पर पूर्व में मकान नहीं होने के कारण प्रार्थी द्वारा किसी गली का उपयोग उपभोग करने का कथन गलत व मनगढन्त है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला * सिरोही *

कब्जे शुदा व हक अधिकार तथा स्वामित्व के मकान व पोल तथा कब्जे की आबादी भूमि का ही ग्राम पंचायत, मोरली द्वारा नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है एवं इस जारी पट्टे में किसी भी दिशा की रास्ते की भूमि सम्मिलित नहीं है, यदि वास्तव में रास्ते की भूमि का पट्टा जारी किया होता तो प्रार्थी या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा गत 24 वर्षों में अवश्य ही आपत्ति करते अथवा पट्टे के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत करते, परन्तु प्रार्थी द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण की शिकायत अप्रार्थी मांगीलाल द्वारा किये जाने पर प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने के लिए तथा वर्ष 2021 में प्रार्थी के भाई वरदाजी का पुत्र उकाराम जो कि प्रार्थी का सगा भतीजा हैं पंचायत सहायक के रूप में ग्राम पंचायत, मोरली में कार्यरत होने के कारण उसके पद का गलत फायदा उठाकर गलत गलत मौका निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करवाकर गलत व मनगढत कथनों के आधार पर यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत करवाया है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को उनके स्वयं की कब्जे शुदा भूमि का ही पट्टा जारी किया हैं जो किसी भी प्रकार से सार्वजनिक आम रास्ते की भूमि की परिभाषा में नही आती हैं तथा पंचायत क्षेत्राधिकार में स्थित आबादी भूमि का पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को प्राप्त होने के कारण पंचायत द्वारा नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी के मकान के बाहर वर्तमान में भी 20—22 फीट चौडी आम सड़क मौजूद है जिस पर पंचायत द्वारा काफी वर्षों पूर्व सी.सी. रोड़ का निर्माण कार्य भी करवाया हुआ है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में पट्टा जारी किये जाने से पूर्व अप्रार्थीगण के हक अधिकार व कब्जे की भूमि का नाप जोख कर जितनी भूमि अप्रार्थीगण के कब्जे में थी उतनी ही भूमि का पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मकान व पोल बने हुए है जो काफी वर्ष पुराने है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपनी पट्टे शुदा भूमि के कुछ भाग पर मकानात बनाये थे व शेष भूमि पोल के बाहर मवेशियों को बांधने, चारा रखने व निजी उपयोग के लिए खाली छोड़ी हुई थी जो वर्तमान में भी अप्रार्थीगण के कब्जे में ही खुली अवस्था में पड़ी हुई हैं। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पट्टे शुदा भूमि के दक्षिण दिशा में वर्तमान में भी आम सी.सी. रोड़ मौजूद है तथा उक्त भूमि के पूर्व दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि को छोड़कर गली मौजूद थी जिस पर प्रार्थी द्वारा मकान निर्माण कर अवैध कब्जा किया हुआ है। जिसकी शिकायत भी अप्रार्थीगण द्वारा तत्समय की गई थी। उसके पश्चात् वर्ष 2021 में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के भतीजे द्वारा मिलीभगत कर दिनांक 07.06.2021 की एक फर्जी जॉच रिपोर्ट बनायी गई उक्त समय न तो पंचायत का कोई सदस्य अप्रार्थीगण के मकान पर आया, न ही कोई नाप जोख किया गया, न ही अप्रार्थीगण को कोई सूचना दी गई, न ही किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अप्रार्थीगण द्वारा सार्वजनिक रास्ते को अवरूद्ध करने बाबत् कोई शिकायत या सूचना प्रदान की गई। ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी के भतीजे जो पंचायत में रोजगार सहायक के पद पर कार्यरत है के प्रभाव में आकर उक्त जॉच रिपोर्ट दिनांक 07.06.2021 बनायी है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध होने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध साक्ष्य में उपयोग में नहीं ली जा सकती है। रास्ते की भूमि का न तो अप्रार्थीगण को पट्टा जारी किया है व न ही मौके पर ऐसा कोई रास्ता या गली है। ग्राम बारेवड़ा का न तो कोई आबादी नवशा है न ही पंचायत के पास कोई नक्शा है जिसमें गलीया व रास्ते अंकित किये हुए हो और अप्रार्थीगण को उक्त पट्टा 1998 में जारी किया गया है। यदि वास्तव में अप्रार्थीगण द्वारा रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया जाता तो अन्य लोगो द्वारा इस संबंध में अवश्य ही शिकायत की जाती। उक्त पट्टे शुदा भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का कब्जा व मकान बना हुआ है तथा शेष स्वामित्व की भूमि पोल के बाहर खाली अवस्था में मौजूद है। यदि प्रार्थी केवल मात्र रास्ते को आधार बनाकर न्यायालय से राहत प्राप्त करना चाहता है तो प्रार्थी को सक्षम सिविल न्यायालय में सिविल वाद प्रस्तुत कर रास्ते की घोषणा करवायी

......पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

जानी चाहिए, उसके पश्चात् अप्रार्थीगण के पट्टे के संबंध में निर्णय लिया जाना चाहिए। केवल मात्र प्रार्थी के झूठे तथ्यों के आधार पर यह निगरानी आवेदन किसी भी प्रकार से परिपोषणीय नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को उनके कब्जे, हक अधिकार व स्वामित्व की भूमि का ही पट्टा जारी किया गया है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को अपने कब्जे व पट्टे शुदा भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूर्ण हक अधिकार प्राप्त है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को उक्त पट्टा वर्ष 1998 में जारी किया गया है जिससे प्रार्थी की यह निगरानी किस प्रकार से अन्दर मियाद नही है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, मोरली द्वारा अप्रार्थी मांगीलाल, सेसाराम पुत्र ओटाजी, जाति– मेघवाल, निवासी– बारेवडा के हक में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 4935 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 212 दिनांक 05–7–1998 को जारी किया गया है। ''राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत, जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक है वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारुप 23–क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगाः–

(i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल–

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षो से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये– 100/– रुपये (एक सौ रुपये)

(ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के संनिर्मित पुराने गृहों के लिये– 200/– रुपये (दो सौ रुपये)

(ii) उपर्युक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए, ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नई बाजार दरों का 25 प्रतिशत। परन्तु गरीबी रेखा से नीचे की सूची में सम्मिलित परिवारों से उप–खण्ड (क) के अधीन कोई फीस प्रभारित नही की जायेगी और उपर्युक्त खण्ड (i) के उप–खण्ड (ख) के अधीन केवल 10 प्रतिशत फीस प्रभारित की जायेगी।

इस संबंध में प्रार्थी निगरानीकार का कथन यह है कि ''प्रार्थी ग्राम बारेवडा, ग्राम पंचायत मोरली का स्थायी निवासी है और परिवार सहित अपने बाप–दादाओं के समय से निवास करता आ रहा है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मकानात् एक ही मौहल्ले में पास–पास में आये हुए है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मकान के पूरब दिशा में पुरानी आम सार्वजनिक गली, रास्ता आया हुआ है जिसमें अप्रार्थी के मकान के दरवाजे खुले हुए है तथा प्रार्थी भी इसी गली रास्ते से अपने बाप–दादाओं के समय से अपने रहवासीय मकान में आता जाता है तथा उक्त गली का निरन्तर व निर्बाध रूप से उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने ग्राम पंचायत, मोरली के सरपंच व सचिव से मेल मिलाप कर चुपके से आवासीय भूमि के साथ–साथ कब्जे से ज्यादा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मकान के दक्षिण व पूरब दिशा स्थित रास्ते की भूमि को सम्मिलित करते हुए आम सार्वजनिक रास्ते व गली की भूमि का पट्टा संख्या 212 विधि विरूद्ध तरीके से नियमों को ताक में रखकर जारी करवाया है।'' जबकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का यह कथन है कि ''अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के कब्जे शुदा व हक

.....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अधिकार तथा स्वामित्व के मकान व पोल तथा कब्जे की आबादी भूमि का ही ग्राम पंचायत, मोरली द्वारा नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है एवं इस जारी पट्टे में किसी भी दिशा की रास्ते की भूमि सम्मिलित नहीं है।''

प्रकरण में प्रार्थी निगरानीकार की ओर से निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन में प्रस्तुत फोटोग्राफस् के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौके पर प्रार्थी के मकान के दरवाजें के आगे पत्थर डाले हुये है, जो प्रार्थी के कथनानुसार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा डलवाये गये है। प्रार्थी द्वारा निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन में ग्राम पंचायत, मोरली की मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 07—6—2021 की छाया प्रति भी प्रस्तुत की गई है। उक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 07—6—2021 के अनुसार ग्राम पंचायत, मोरली के सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, उप सरपंच व वार्ड पंच द्वारा मौका निरीक्षण किया गया है एवं मौके पर मांगीलाल, सेसाराम पुत्र ओटाराम, जाति— मेघवाल, निवासी— बारेवडा के पट्टा का माप किया गया तथा माप करने पट्टे अनुसार सार्वजनिक रास्ते की भूमि भी पट्टे की भूमि में सम्मिलित होने का उल्लेख मौका निरीक्षण रिपोर्ट में किया गया है। इस प्रकार, प्रार्थी निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफस् व उक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत, मोरली द्वारा अप्रार्थी मांगीलाल, सेसाराम पुत्र ओटाराम जी मेघवाल, निवासी— बारेवडा को पट्टा जारी करने से पूर्व मौके का भौतिक रुप से निरीक्षण नही किया गया है व मौके की स्थिति के विपरित अप्रार्थी मांगीलाल व सेसाराम के कब्जे स्वामित्व के मकान व पोल व कब्जे की भूमि से अधिक भूमि, जो प्रार्थी के मकान के दरवाजे के आगे स्थित है व प्रार्थी के मकान में आवागमन की रास्ते/गली की भूमि है को सम्मिलित करते हुए क्षेत्रफल 4935 वर्गफीट भूमि का पट्टा जारी किया गया है। जबकि ग्राम पंचायत को रास्ते की भूमि का पट्टा जारी करने का अधिकार नही है। ऐसी स्थिति में, प्रश्नगत पट्टे को निरस्त करते हुए प्रकरण ग्राम पंचायत, मोरली को प्रश्नगत पट्टे की भूमि के मौके व रेकर्ड की जांच कर पुनः विधि अनुरुप कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, मोरली द्वारा अप्रार्थी मांगीलाल, सेसाराम पुत्र ओटाराम जी, जाति— मेघवाल, निवासी— बारेवडा के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 212 दिनांक 05—7—1998 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत, मोरली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रश्नगत भूखण्ड़ के मौके व रेकर्ड की जांच करे एवं पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुरुप विधि अनुरुप कार्यवाही करे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सर—ए—ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही